

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।

ग्राम-डाण्डा लखौण्ड, पो0ऑ0-गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।

ई-मेल-dghealth.uttarakhand@gmail.com,

दूरभाष संख्या : 0135 2608763, फ़ैक्स: 0135 2608746

dgmhkarmiksection3@gmail.com

पत्रांक:-3प/कार्मिक-3/07/2025/15589

देहरादून: दिनांक 18 जून, 2025

सेवामें,

नोडल अधिकारी (आटी0टी0 सैल),
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, देहरादून

विषय:-

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागान्तर्गत लिपिक संवर्ग/अपर अभियन्ता/स्टोर कीपर आदि कार्मिकों का उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के क्रम में किये गये स्थानान्तरण सूची विभागीय बेवसाइट पर अपलोड किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागान्तर्गत लिपिक संवर्ग/अपर अभियन्ता/स्टोर कीपर आदि कार्मिकों के उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत किये गये स्थानान्तरण आदेशों की प्रति विभागीय बेवसाइट पर प्रदर्शित की जानी हैं।

अतः इस पत्र के साथ संलग्नक स्थानान्तरण आदेशों की छायाप्रति को विभागीय बेवसाइट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,



(अजीत मोहन जौहरी)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

डाण्डा लखौण्ड, पो०ओ० गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।

ई-मेल: dghealth.uttarakhand@gmail.com, दूरभाष: 0135-2608763, फैंक्स: 0135-2608746

पत्र संख्या-3प/कार्मिक-3/07/2025/

15559

देहरादून: दिनांक 10 जून, 2025

-: आदेश :-

एतद्वारा निम्नलिखित कार्मिक को तत्काल प्रभाव से शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक 06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या-04 से कॉलम संख्या-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री आशीष रात्रा	वरिष्ठ सहायक	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सहिया, देहरादून।	उपजिला चिकित्सालय मसूरी, देहरादून।	निजी अनुरोध

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतिका किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण करते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायेंगे। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहिता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा-24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचारण नियमावली-2003 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 6- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/कार्मिक-3/07/2025/

तददिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड देहरादून।
2. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून।
4. प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, उपजिला चिकित्सालय मसूरी, देहरादून।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार, देहरादून/मसूरी।
6. सम्बन्धित कार्मिक।
7. गार्ड फाईल।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

डाण्डा लखौण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।

ई-मेल: dghealth.uttarakhand@gmail.com, दूरभाष: 0135-2608763, फैक्स: 0135-2608746

पत्र संख्या-3प/कार्मिक-3/07/2025/

देहरादून: दिनांक 10 जून, 2025

:- आदेश :-

एतद्वारा निम्नलिखित कार्मिक को तत्काल प्रभाव से शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक 06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या-04 से कॉलम संख्या-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री अमित शर्मा	कनिष्ठ सहायक	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी उधम सिंह नगर।	निजी अनुरोध

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण करते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायेंगे। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहिता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा-24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचारण नियमावली-2003 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 6- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/कार्मिक-3/07/2025/ 15562 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड देहरादून।
2. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊ मण्डल नैनीताल।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी गढ़वाल/उधम सिंह नगर।
4. साईबर/मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार, टिहरी गढ़वाल/उधम सिंह नगर।
5. सम्बन्धित कार्मिक।
6. गार्ड फाईल।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

डाण्डा लखौण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।

ई-मेल: dghealth.uttarakhand@gmail.com, दूरभाष: 0135-2608763, फैक्स: 0135-2608746

पत्र संख्या-3प/कार्मिक-3/07/2025/

देहरादून: दिनांक 10 जून, 2025

:- आदेश :-

एतद्वारा निम्नलिखित कार्मिक को तत्काल प्रभाव से शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक 06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या-04 से कॉलम संख्या-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री अखिलेश कुमार बिन्द	कनिष्ठ सहायक	स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, देहरादून।	उपजिला चिकित्सालय ऋषिकेश, देहरादून।	निजी अनुरोध

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण करते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायेंगे। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहिता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा-24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचारण नियमावली-2003 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 6- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/कार्मिक-3/07/2025/15564 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड देहरादून।
2. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून।
4. मुख्य अधीक्षक, उपजिला चिकित्सालय ऋषिकेश, देहरादून।
5. आहरण वितरण अधिकारी, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, देहरादून।
6. स्टाफ आफिसर, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, देहरादून।
7. साईबर/मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार, देहरादून/ऋषिकेश।
8. सम्बन्धित कार्मिक।
9. गार्ड फाईल।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

डाण्डा लखौण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।

मेल: dghealth.uttarakhand@gmail.com, दूरभाष: 0135-2608763, फैक्स: 0135-2608746

संख्या-3प/कार्मिक-3/07/2025/

देहरादून: दिनांक 10 जून, 2025

-: आदेश :-

एतद्वारा निम्नलिखित कार्मिक को तत्काल प्रभाव से शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक 06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या-04 से कॉलम संख्या-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री अश्वनी कुमार सिंह	कनिष्ठ सहायक (अधिसंख्य)	जिला चिकित्सालय बौराड़ी, टिहरी गढ़वाल।	जिला चिकित्सालय उधम सिंह नगर।	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण करते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायेंगे। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहिता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा-24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचारण नियमावली-2003 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/कार्मिक-3/07/2025/15566 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- महालेखाकार उत्तराखण्ड देहरादून।
- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊं मण्डल नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी गढ़वाल/उधम सिंह नगर।
- प्रमुख अधीक्षक, जिला चिकित्सालय टिहरी गढ़वाल/उधम सिंह नगर।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार, टिहरी गढ़वाल/उधम सिंह नगर।
- सम्बन्धित कार्मिक।
- गार्ड फाईल।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

डाण्डा लखौण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।

ई-मेल: dghealth.uttarakhand@gmail.com, दूरभाष: 0135-2608763, फैंक्स: 0135-2608746

पत्र संख्या-3प/कार्मिक-3/07/2025/

देहरादून: दिनांक

जून, 2025

-: आदेश :-

एतद्वारा निम्नलिखित कार्मिक को तत्काल प्रभाव से शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक 06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या-04 से कॉलम संख्या-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री अखिलेश उनियाल	कनिष्ठ सहायक (अधिसंख्य)	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।	स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, देहरादून।	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण करते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायेंगे। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहिता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा-24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचारण नियमावली-2003 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/कार्मिक-3/07/2025/ 15560

तददिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- महालेखाकार उत्तराखण्ड देहरादून।
- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
- आहरण वितरण अधिकारी, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, देहरादून।
- स्टाफ आफिसर, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, देहरादून।
- साईबर/मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार, देहरादून/टिहरी गढ़वाल।
- सम्बन्धित कार्मिक।
- गार्ड फाईल।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक

महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

डाण्डा लखौण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्रधारा रोड़, देहरादून।

ई-मेल: dghealth.uttarakhand@gmail.com, दूरभाष: 0135-2608763, फैक्स: 0135-2608746

पत्र संख्या-3प/कार्मिक-3/07/2025/

देहरादून: दिनांक 10 जून, 2025

-: आदेश :-

एतद्वारा निम्नलिखित कार्मिक को तत्काल प्रभाव से शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक 06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या-04 से कॉलम संख्या-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री प्रमोद बोरा	प्रधान सहायक	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।	स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, देहरादून।	निजी अनुरोध

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण करते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायेंगे। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहिता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा-24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचारण नियमावली-2003 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 6- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/कार्मिक-3/07/2025/ 15550

तददिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड देहरादून।
2. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी गढ़वाल।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
4. आहरण वितरण अधिकारी, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, देहरादून।
5. स्टाफ आफिसर, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, देहरादून।
6. साईबर/मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार, पौड़ी गढ़वाल/देहरादून।
7. सम्बन्धित कार्मिक।
8. गार्ड फाईल।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

डाण्डा लखौण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।

ई-मेल: dghealth.uttarakhand@gmail.com, दूरभाष: 0135-2608763, फैंक्स: 0135-2608746

पत्र संख्या-3प/कार्मिक-3/07/2025/

देहरादून: दिनांक 10 जून, 2025

-: आदेश :-

एतद्वारा निम्नलिखित कार्मिक को तत्काल प्रभाव से शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक 06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या-04 से कॉलम संख्या-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती रंजिता कौर	प्रधान सहायक	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रुद्रप्रयाग।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।	पारस्परिक (निजी अनुरोध)

- सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण करते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायेंगे। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहिता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा-24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचारण नियमावली-2003 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/कार्मिक-3/07/2025/15548 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- महालेखाकार उत्तराखण्ड देहरादून।
- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी गढ़वाल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी गढ़वाल/रुद्रप्रयाग।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार, टिहरी गढ़वाल/रुद्रप्रयाग।
- सम्बन्धित कार्मिक।
- गार्ड फाईल।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

डाण्डा लखौण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।

ई-मेल: dghealth.uttarakhand@gmail.com, दूरभाष: 0135-2608763, फैक्स: 0135-2608746

पत्र संख्या-3प/कार्मिक-3/07/2025/

देहरादून: दिनांक 10 जून, 2025

-: आदेश :-

एतद्वारा निम्नलिखित कार्मिक को तत्काल प्रभाव से शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक 06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या-04 से कॉलम संख्या-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री महिपाल सिंह	प्रधान सहायक	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रुद्रप्रयाग।	पारस्परिक (निजी अनुरोध)

- सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण करते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायेंगे। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहिता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा-24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचारण नियमावली-2003 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/कार्मिक-3/07/2025/ 15546

तददिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- महालेखाकार उत्तराखण्ड देहरादून।
- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी गढ़वाल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी गढ़वाल/रुद्रप्रयाग।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार, टिहरी गढ़वाल/रुद्रप्रयाग।
- सम्बन्धित कार्मिक।
- गार्ड फाईल।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

डाण्डा लखौण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।

ई-मेल: dghealth.uttarakhand@gmail.com, दूरभाष: 0135-2608763, फैक्स: 0135-2608746

पत्र संख्या-3प/कार्मिक-3/07/2025/

देहरादून: दिनांक 10 जून, 2025

:- आदेश :-

एतद्वारा निम्नलिखित कार्मिक को तत्काल प्रभाव से शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक 06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या-04 से कॉलम संख्या-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री सुन्दर सिंह मर्तोल्या	प्रशासनिक अधिकारी	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पिथौरागढ़।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल।	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण करते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायेंगे। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहिता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा-24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचारण नियमावली-2003 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 6- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/कार्मिक-3/07/2025/ 15543 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड देहरादून।
2. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पिथौरागढ़/नैनीताल।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार, पिथौरागढ़/नैनीताल।
5. सम्बन्धित कार्मिक।
6. गार्ड फाईल।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

डाण्डा लखौण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।

ई-मेल: dghealth.uttarakhand@gmail.com, दूरभाष: 0135-2608763, फैक्स: 0135-2608746

पत्र संख्या-3प/कार्मिक-3/07/2025/15541

देहरादून: दिनांक 10 जून, 2025

-: आदेश :-

एतद्वारा निम्नलिखित कार्मिक को तत्काल प्रभाव से शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक 06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या-04 से कॉलम संख्या-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री संजीव कुमार शर्मा	प्रशासनिक अधिकारी	उपजिला चिकित्सालय कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल।	कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पिथौरागढ़।	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण करते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायेंगे। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहिता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा-24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचारण नियमावली-2003 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

तददिनांकित।

पत्र संख्या-3प/कार्मिक-3/07/2025/

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- महालेखाकार उत्तराखण्ड देहरादून।
- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल/पिथौरागढ़।
- प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, उपजिला चिकित्सालय कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार, कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल/पिथौरागढ़।
- सम्बन्धित कार्मिक।
- गार्ड फाईल।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

डाण्डा लखौण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

ई-मेल: dghealth.uttarakhand@gmail.com, दूरभाष: 0135-2608763, फैक्स: 0135-2608746

पत्र संख्या-3प/कार्मिक-3/07/2025/

देहरादून: दिनांक 10 जून, 2025

-आदेश :-

एतद्वारा निम्नलिखित कार्मिक को तत्काल प्रभाव से शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक 06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या-04 से कॉलम संख्या-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री मनीष कुमार	प्रधान सहायक	जिला चिकित्सालय अल्मोड़ा।	जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़।	पारस्परिक (निजी अनुरोध)

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण करते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायेंगे। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहिता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा-24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचारण नियमावली-2003 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 6- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/कार्मिक-3/07/2025/ 15552 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड देहरादून।
2. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अल्मोड़ा/पिथौरागढ़।
4. प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, अल्मोड़ा/पिथौरागढ़।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार, अल्मोड़ा/पिथौरागढ़।
6. सम्बन्धित कार्मिक।
7. गार्ड फाईल।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक।

महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

डाण्डा लखौण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।

ई-मेल: dghealth.uttarakhand@gmail.com, दूरभाष: 0135-2608763, फैक्स: 0135-2608746

पत्र संख्या-3प/कार्मिक-3/07/2025/

देहरादून: दिनांक

जून, 2025

-: आदेश :-

एतद्वारा निम्नलिखित कार्मिक को तत्काल प्रभाव से शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक 06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या-04 से कॉलम संख्या-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री तनवीर अहमद	वरिष्ठ सहायक	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रिखणीखाल, पौड़ी गढ़वाल।	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र इमलीखेड़ा, हरिद्वार।	निजी अनुरोध

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण करते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायेंगे। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहिता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा-24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचारण नियमावली-2003 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 6- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/कार्मिक-3/07/2025/ 15554 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड देहरादून।
2. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल/हरिद्वार।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार, पौड़ी गढ़वाल/हरिद्वार।
5. सम्बन्धित कार्मिक।
6. गार्ड फाईल।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

डाण्डा लखौण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।
ई-मेल: dghealth.uttarakhand@gmail.com, दूरभाष: 0135-2608763, फैक्स: 0135-2608746
पत्र संख्या-3प/कार्मिक-3/07/2025/

देहरादून: दिनांक 10 जून, 2025

-: आदेश :-

एतद्वारा निम्नलिखित कार्मिक को तत्काल प्रभाव से शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक 06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या-04 से कॉलम संख्या-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री मनीष तिवारी	प्रधान सहायक	जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़।	जिला चिकित्सालय अल्मोड़ा।	पारस्परिक (निजी अनुरोध)

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण करते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायेंगे। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहिता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा-24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचारण नियमावली-2003 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 6- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/कार्मिक-3/07/2025/15556 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड देहरादून।
2. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अल्मोड़ा/पिथौरागढ़।
4. प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, अल्मोड़ा/पिथौरागढ़।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार, अल्मोड़ा/पिथौरागढ़।
6. सम्बन्धित कार्मिक।
7. गार्ड फाईल।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

डाण्डा लखौण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।

ई-मेल: dghealth.uttarakhand@gmail.com, दूरभाष: 0135-2608763, फैक्स: 0135-2608746

पत्र संख्या-3प/कार्मिक-3/07/2025/

देहरादून: दिनांक 10 जून, 2025

-: आदेश :-

एतद्वारा निम्नलिखित कार्मिक को तत्काल प्रभाव से शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक 06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या-04 से कॉलम संख्या-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री विकास नौटियाल	वरिष्ठ सहायक	स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, देहरादून।	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छेरपधार, टिहरी गढ़वाल।	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण करते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायेंगे। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहिता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा-24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचारण नियमावली-2003 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/कार्मिक-3/07/2025/ 15550 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- महालेखाकार उत्तराखण्ड देहरादून।
- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
- आहरण वितरण अधिकारी, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, देहरादून।
- स्टाफ आफिसर, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, देहरादून।
- साईबर/मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार, देहरादून/टिहरी गढ़वाल।
- सम्बन्धित कार्मिक।
- गार्ड फाईल।

h
(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

डाण्डा लखौण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।

ई-मेल: dghealth.uttarakhand@gmail.com, दूरभाष: 0135-2608763, फैक्स: 0135-2608746

पत्र संख्या-3प/कार्मिक-3/07/2025/

देहरादून: दिनांक

जून, 2025

-आदेश :-

एतद्वारा निम्नलिखित कार्मिक को तत्काल प्रभाव से शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक 06.02.2018में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या-04 से कॉलम संख्या-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री योगेश पांगती	प्रशासनिक अधिकारी	स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून	जिला चिकित्सालय चम्पावत।	निजी अनुरोध

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण करते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायेंगे। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहिता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा-24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचारण नियमावली-2003 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 6- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/कार्मिक-3/07/2025/

तददिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड देहरादून।
2. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3. संयुक्त निदेशक मुख्यालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय चम्पावत।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार, साईबर ट्रेजरी देहरादून/चम्पावत।
6. सम्बन्धित कार्मिक।
7. गार्ड फाईल।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

डाण्डा लखौण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्रधारा रोड़, देहरादून।

ई-मेल: dghealth.uttarakhand@gmail.com, दूरभाष: 0135-2608763, फैक्स: 0135-2608746

पत्र संख्या-3प/कार्मिक-3/07/2025/

देहरादून: दिनांक 10 जून, 2025

:- आदेश :-

एतद्वारा निम्नलिखित कार्मिक को तत्काल प्रभाव से शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक 06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या-04 से कॉलम संख्या-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री रमाकान्त कौशिक	कनिष्ठ सहायक (अधिसंख्य)	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।	स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, देहरादून।	निजी अनुरोध

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण करते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायेंगे। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहिता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा-24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचारण नियमावली-2003 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 6- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/कार्मिक-3/07/2025/ 15540 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड देहरादून।
2. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
4. आहरण वितरण अधिकारी, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, देहरादून।
5. स्टाफ आफिसर, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, देहरादून।
6. साईबर/मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार, देहरादून/पौड़ी गढ़वाल।
7. सम्बन्धित कार्मिक।
8. गार्ड फाईल।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

डाण्डा लखौण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।

ई-मेल: dghealth.uttarakhand@gmail.com, दूरभाष: 0135-2608763, फैंक्स: 0135-2608746

पत्र संख्या-3प/कार्मिक-3/07/2025/

देहरादून: दिनांक

जून, 2025

-: आदेश :-

एतद्वारा निम्नलिखित कार्मिक को तत्काल प्रभाव से शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक 06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या-04 से कॉलम संख्या-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री मनमोहन सिंह भण्डारी	कनिष्ठ सहायक	जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़।	उपजिला चिकित्सालय नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल।	निजी अनुरोध

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण करते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायेंगे। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहिता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा-24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचारण नियमावली-2003 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 6- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/कार्मिक-3/07/2025/ 15572 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड देहरादून।
2. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊं मण्डल नैनीताल।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पिथौरागढ़/टिहरी गढ़वाल।
4. प्रमुख/मुख्य अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, पिथौरागढ़/उपजिला चिकित्सालय नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार, पिथौरागढ़/नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल।
6. सम्बन्धित कार्मिक।
7. गार्ड फाईल।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

डाण्डा लखौण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।

ई-मेल: dghealth.uttarakhand@gmail.com, दूरभाष: 0135-2608763, फैक्स: 0135-2608746

पत्र संख्या-3प/कार्मिक-3/07/2025/

देहरादून: दिनांक 10 जून, 2025

:- आदेश :-

एतद्वारा निम्नलिखित कार्मिक को तत्काल प्रभाव से शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक 06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या-04 से कॉलम संख्या-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री प्रदीप सिंह गुसाई	कनिष्ठ सहायक (अधिसंख्या)	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रुद्रप्रयाग।	जिला चिकित्सालय चमोली।	निजी अनुरोध

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतिष्ठा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण करते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायेंगे। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहिता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा-24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचारण नियमावली-2003 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 6- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/कार्मिक-3/07/2025/ 15574 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड देहरादून।
2. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रुद्रप्रयाग/चमोली।
4. प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय चमोली।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार, रुद्रप्रयाग/चमोली।
6. सम्बन्धित कार्मिक।
7. गार्ड फाईल।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

डाण्डा लखौण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।

ई-मेल: dghealth.uttarakhand@gmail.com, दूरभाष: 0135-2608763, फैक्स: 0135-2608746

पत्र संख्या-3प/कार्मिक-3/07/2025/

देहरादून: दिनांक 10 जून, 2025

:- आदेश :-

एतद्वारा निम्नलिखित कार्मिक को तत्काल प्रभाव से शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक 06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या-04 से कॉलम संख्या-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री सागर पन्त	कनिष्ठ सहायक (अधिसंख्य)	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवाली, नैनीताल।	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बेतालघाट, नैनीताल।	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण करते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायेंगे। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहिता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा-24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचारण नियमावली-2003 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/कार्मिक-3/07/2025/ 15576 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- महालेखाकार उत्तराखण्ड देहरादून।
- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊं मण्डल नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार, नैनीताल।
- सम्बन्धित कार्मिक।
- गार्ड फाईल।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

डाण्डा लखौण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।

ई-मेल: dghealth.uttarakhand@gmail.com, दूरभाष: 0135-2608763, फैक्स: 0135-2608746

पत्र संख्या-3प/कार्मिक-3/07/2025/

देहरादून: दिनांक 10 जून, 2025

-: आदेश :-

एतद्वारा निम्नलिखित कार्मिक को तत्काल प्रभाव से शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक 06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या-04 से कॉलम संख्या-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती सरिता रावत	कनिष्ठ सहायक (अधिसंख्य)	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।	उपजिला चिकित्सालय श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।	निजी अनुरोध

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण करते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायेंगे। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहिता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा-24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचारण नियमावली-2003 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 6- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/कार्मिक-3/07/2025/ 15578

तददिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड देहरादून।
2. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल माण्डल पौड़ी।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
4. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उपजिला चिकित्सालय श्रीनगर गढ़वाल।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार, पौड़ी/श्रीनगर।
6. सम्बन्धित कार्मिक।
7. गार्ड फाईल।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

डाण्डा लखौण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

ई-मेल: dghealth.uttarakhand@gmail.com, दूरभाष: 0135-2608763, फ़ैक्स: 0135-2608746

पत्र संख्या-3प/कार्मिक-3/07/2025/

देहरादून: दिनांक 10 जून, 2025

-: आदेश :-

एतद्वारा निम्नलिखित कार्मिक को तत्काल प्रभाव से शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक 06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या-04 से कॉलम संख्या-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री बासित अली	कनिष्ठ सहायक (अधिसंख्य)	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कालसी, देहरादून।	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सहिया, देहरादून।	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण करते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायेंगे। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहिता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा-24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचारण नियमावली-2003 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/कार्मिक-3/07/2025/15580 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- महालेखाकार उत्तराखण्ड देहरादून।
- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमांऊ मण्डल नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार, देहरादून।
- सम्बन्धित कार्मिक।
- गार्ड फाईल।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

डाण्डा लखौण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।

ई-मेल: dghealth.uttarakhand@gmail.com, दूरभाष: 0135-2608763, फैक्स: 0135-2608746

पत्र संख्या-3प/कार्मिक-3/07/2025/

देहरादून: दिनांक 10 जून, 2025

-: आदेश :-

एतद्वारा निम्नलिखित कार्मिक को तत्काल प्रभाव से शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक 06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या-04 से कॉलम संख्या-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री मंसूर अली	कनिष्ठ सहायक (अधिसंख्य)	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रुद्रप्रयाग।	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डोईवाला, देहरादून।	निजी अनुरोध

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण करते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायेंगे। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहिता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा-24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचारण नियमावली-2003 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 6- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/कार्मिक-3/07/2025/ 15502 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड देहरादून।
2. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमांऊ मण्डल नैनीताल।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रुद्रप्रयाग/देहरादून।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार, रुद्रप्रयाग/देहरादून।
5. सम्बन्धित कार्मिक।
6. गार्ड फाईल।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

डाण्डा लखौण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।

ई-मेल: dghealth.uttarakhand@gmail.com, दूरभाष: 0135-2608763, फैक्स: 0135-2608746

पत्र संख्या-3प/कार्मिक-3/07/2025/

देहरादून: दिनांक 10 जून, 2025

-: आदेश :-

एतद्वारा निम्नलिखित कार्मिक को तत्काल प्रभाव से शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक 06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या-04 से कॉलम संख्या-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री जगमोहन सिंह असवाल	कनिष्ठ सहायक	जिला चिकित्सालय पौड़ी।	स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, देहरादून।	निजी अनुरोध

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतिका किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण करते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायेंगे। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहिता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा-24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचारण नियमावली-2003 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 6- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/कार्मिक-3/07/2025/ 15584 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड देहरादून।
2. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
4. आहरण वितरण अधिकारी, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, देहरादून।
5. स्टाफ आफिसर, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, देहरादून।
6. साईबर/मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार, देहरादून/पौड़ी गढ़वाल।
7. सम्बन्धित कार्मिक।
8. गार्ड फाईल।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

डाण्डा लखौण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।

ई-मेल: dghealth.uttarakhand@gmail.com, दूरभाष: 0135-2608763, फैंक्स: 0135-2608746

पत्र संख्या-3प/कार्मिक-3/07/2025/

देहरादून: दिनांक 10 जून, 2025

-: आदेश :-

एतद्वारा निम्नलिखित कार्मिक को तत्काल प्रभाव से शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक 06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या-04 से कॉलम संख्या-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री प्रताप सिंह लटवाल	स्टोर कीपर कम क्लर्क	बेस चिकित्सालय, अल्मोड़ा।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अल्मोड़ा।	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण करते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायेंगे। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहिता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा-24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचारण नियमावली-2003 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/कार्मिक-3/07/2025/ 15586 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- महालेखाकार उत्तराखण्ड देहरादून।
- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अल्मोड़ा
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, बेस चिकित्सालय अल्मोड़ा।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार, अल्मोड़ा।
- सम्बन्धित कार्मिक।
- गार्ड फाईल।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

डाण्डा लखौण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।

ई-मेल: dghealth.uttarakhand@gmail.com, दूरभाष: 0135-2608763, फैक्स: 0135-2608746

पत्र संख्या-3प/कार्मिक-3/07/2025/

देहरादून: दिनांक 10 जून, 2025

-: आदेश :-

एतद्वारा निम्नलिखित कार्मिक को तत्काल प्रभाव से शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक 06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या-04 से कॉलम संख्या-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री चयन चन्द्र तिवारी	अवर अभियन्ता	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल।	स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, देहरादून।	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण करते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायेंगे। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहिता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा-24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचारण नियमावली-2003 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/कार्मिक-3/07/2025/ 15588 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- महालेखाकार उत्तराखण्ड देहरादून।
- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊ मण्डल नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल।
- आहरण वितरण अधिकारी, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, देहरादून।
- स्टाफ आफिसर, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, देहरादून।
- साईबर/मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार, देहरादून/नैनीताल।
- सम्बन्धित कार्मिक।
- गार्ड फाईल।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक